

(64)

छत्तीसगढ़ विधान सभा सचिवालय

सामग्री को भंडार  
गोख

30/.../वि.स./स्था./2002

रायपुर-492 001 दिनांक 11/11/2002

//कार्यालय सूचना//

छत्तीसगढ़ विधान सभा भवन /परिसर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया गया है कि सचिवालय से जो भी सामग्री भेजी जाये अथवा मंगाई जाना हो, तो इसकी पूर्व सूचना शाखा को देना होगा। साथ ही गेट से बाहर ले जाने या लाने हेतु गेट पास शाखा प्रभारी द्वारा जारी करना होगा। बिना गेट पास के कोई भी सामग्री भवन/परिसर में लाना व ले जाना वर्जित है।

शाखा प्रभारियों द्वारा जारी गेट पास के पालन में सुरक्षा कर्मचारी गेट पर रखी गई पंजी में प्रविष्टि कर भवन से बाहर सामग्री को ले जाने अथवा भीतर लाने की व्यवस्था करेंगे।

अतः आदेशानुसार समस्त शाखा प्रभारियों को सूचित किया जाता है कि सुरक्षा की दृष्टि से अपनी शाखा से संबंधित सामग्रियों को लाने तथा भेजने संबंधित सूचना सुरक्षा शाखा को देते हुए गेट-पास आवश्यक रूप से प्रदान करने की व्यवस्था करें।

आदेश से,



अवर सचिव

छत्तीसगढ़ विधान सभा .